



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042026-271847
CG-DL-E-16042026-271847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1854]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2026/चैत्र 26, 1948

No. 1854]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2026/CHAITRA 26, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2026

सं. 38/2026-सीमा शुल्क(गै.टै.)

का.आ. 1923(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1), के साथ पठित धारा 3, और धारा 5 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्न दी गई सारणी के कॉलम 4 में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों कि शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व को सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित नोटिसी के संदर्भ में, कॉलम 2 में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसो के न्यायनिर्णयन उद्देश्य हेतु नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिसी का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का नाम	नियुक्त की गयी साधारण न्यायनिर्णयन प्राधिकरण।
(1)	(2)	(3)	(4)
कंट्रोल कंपोनेंट्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड प्लॉट नंबर-13,14,15, एसजेआर पार्क, ईपीआईपी जोन, फेज I, व्हाइटफील्ड मेन रोड, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु - 560 066	5133/2025 दिनांक 25.07.2025	सीमा शुल्क सहायक आयुक्त (समूह 5, एसीसी चेन्नई)	प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सीमा शुल्क (विमानमाल), (चेन्नई- VII आयुक्तालय)
	123/2025-26 दिनांक 21.08.2025	सीमा शुल्क सहायक आयुक्त (पीएजी समूह 4), एपी और एसीसी आयुक्तालय, बेंगलुरु	
	977/2025-26 दिनांक 17.10.2025	सहायक आयुक्त, आईसीडी, सिटी कस्टम्स, बेंगलुरु	
	119/2025 दिनांक 26.11.2025	सहायक आयुक्त (समूह-5, आयात आयुक्तालय, चेन्नई-II)	

[फा. सं. 466/08/2026-Cus.V]

कृति पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(THE CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2026

No. 38/2026-Customs (N.T.)

S.O. 1923(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with section 3 and sub sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints officer mentioned in column (4) of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table in respect of Noticee mentioned in column (1) of the Table, for purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (2) therein, namely:-

TABLE

Name of the Noticee(s) and Address (M/s.)	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
1	2	3	4
Control Components India (P) Ltd. Plot No.-13,14,15, SJR Park, EPIP	5133/2025 dated 25.07.2025	Assistant Commissioner of Customs (Group 5, ACC Chennai)	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Air Cargo),

Zone, Phase I, Whitefield Main Road, Whitefield, Bengaluru - 560 066	123/2025-26 dated 21.08.2025	Asst. Commissioner of Customs (PAG GR 4), AP & ACC Commissionerate, Bengaluru	(Chennai-VII Commissionerate)
	977/2025-26 dated 17.10.2025	Assistant Commissioner, ICD, City Customs, Bengaluru	
	119/2025 dated 26.11.2025	Assistant Commissioner (Group-5, Import Commissionerate, Chennai-II)	

[F. No. 466/08/2026-Cus.V]

KRITI PANDEY, Under Secy.